

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रेषित,

प्रबन्धक,
लीड बैंक अधिकारी,
बी0एच0ई0एल0, सैक्टर-4, हरिद्वार।

पत्रांक-2309/मु0कृ0अ0/फसल वित्तमान/बैठक/2023-24/दिनांक-13.03.2024

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किये गये फसल वित्तमान प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद में कृषि फसल ऋण वितरण हेतु वर्ष 2024-25 के लिए फसल वित्तमान निर्धारण करने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2024 को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार समीक्षा बैठक आहुत की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न फसलों के वित्तमानों पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित फसल वित्तमानों की सूचना पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय देवराड़ी)
मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रसंख्या/ /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
- 2-सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार।
- 3-मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार।
- 4-जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, हरिद्वार।
- 5-सहायक निदेशक मत्स्य, हरिद्वार।
- 6-सहायक निदेशक डेयरी, हरिद्वार।
- 7-जिला प्रबंधक नाबार्ड बैंक हरिद्वार।
- 8-मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9-जिलाधिकारी, हरिद्वार महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10-अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल पौड़ी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 11-कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रेषित,

प्रबन्धक,
लीड बैंक अधिकारी,
बी0एच0ई0एल0, सैक्टर-4, हरिद्वार।

पत्रांक- / मु0कृ0अ0 / फसल वित्तमान / बैठक / 2023-24 / दिनांक-

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किये गये फसल वित्तमान प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद में कृषि फसल ऋण वितरण हेतु वर्ष 2024-25 के लिए फसल वित्तमान निर्धारण करने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2024 को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार समीक्षा बैठक आहुत की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न फसलों के वित्तमानों पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित फसल वित्तमानों की सूचना पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय देवराड़ी)
मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रसंख्या / / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
- 2-सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार।
- 3-मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार।
- 4-जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, हरिद्वार।
- 5-सहायक निदेशक मत्स्य, हरिद्वार।
- 6-सहायक निदेशक डेयरी, हरिद्वार।
- 7-जिला प्रबंधक नाबार्ड बैंक हरिद्वार।
- 8-मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9-जिलाधिकारी, हरिद्वार महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 10-अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल पौडी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 11-कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित विभिन्न फसलों के वित्तमान जनपद-हरिद्वार


क्र० सं०	फसल का नाम	वर्ष 2024-25 हेतु समिति द्वारा निर्धारित वित्तमान (रु० प्रति है० में)
1. कृषि फसलों हेतु वित्तमान		
1	गेहूँ	88000.00
2	धान	90000.00
3	उर्द/मूंग	45000.00
4	मूंगफली	45000.00
5	चना	45000.00
6	मसूर	45000.00
7	राई सरसों/तोरिया	46000.00
8	गन्ना	176000.00
9	मक्का	46500.00
10	ज्वार	42000.00


2. सब्जी, फल एवं फूल वाली फसलों के लिए वित्तमान


क्र० सं०	फसल का नाम	वर्ष 2024-25 हेतु समिति द्वारा निर्धारित वित्तमान (रु० प्रति है० में)
1	बंद गोभी	68760.00
2	फूल गोभी	75628.00
3	शिमला मिर्च	97180.00
4	टमाटर	82812.00
5	तेज मिर्च	77712.00
6	मटर	61348.00
7	फेंचबीन	67076.00
8	भिंडी	101340.00
9	बैंगन	69090.00
10	करेला/खीरा/तोरी (कद्दू वर्गीय)	67972.00
11	आलू	179800.00
12	प्याज	70340.00
13	मूली	65632.00
14	लहसुन	131880.00
15	अदरक	188080.00
16	हल्दी	162480.00
17	नींबू वर्गीय	68924.00
18	आम	67424.00
19	अमरुद	81492.00
20	आंवला	70132.00
21	पपीता	125042.00
22	गेंदा फूल	77632.00
23	गुलाब	65000.00
24	जरबेरा (संरक्षित खेती)	610000.00 (रु० 610.00/वर्ग मी०)


3. डेयरी, मत्स्य एवं पशुपालन हेतु वित्तमान


1	दुग्ध उत्पादन (गाय)	52680.00 / पशु
2	दुग्ध उत्पादन (भैंस)	77000.00 / पशु
3	भेड़/बकरी पालन (5+1 प्रति इकाई)	24920.00 / इकाई
4	भेड़/बकरी पालन (10+1 प्रति इकाई)	45940.00 / इकाई
5	कुक्कुट पालन (लेयर 100 पक्षी)	28820.00 / इकाई
6	कुक्कुट पालन (ब्रायलर 100 पक्षी)	15620.00 / इकाई
7	सूकर पालन	7370.00 / पशु
8	मत्स्य उत्पादन-10 माह	265000.00 / हैक्टेयर जल क्षेत्र
9	पंगेशियस मत्स्य उत्पादन-08 माह	1171500.00 / 0.4 हैक्टेयर जल क्षेत्र
10	समन्वित मत्स्य पालन-12 माह	480000.00 / हैक्टेयर जल क्षेत्र
11	रियरिंग यूनिट-09 माह	112700.00 / 0.2 हैक्टेयर जल क्षेत्र
12	संघन मत्स्य पालन-12 माह	150000.00 / टैंक आर0ए0एस0 / बायोप्लॉक


मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।



मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
हरिद्वार।



मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।


जिला सहायक निबंधक
सहकारी समितियां,
जनपद-हरिद्वार।


सहायक गन्ना आयुक्त
हरिद्वार।


सहायक निदेशक मत्स्य,
हरिद्वार।


प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक,
हरिद्वार।


जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड,
हरिद्वार।


मुख्य विकास अधिकारी,
हरिद्वार।


जिलाधिकारी,
हरिद्वार।